संख्या-13/2018/क0नि0-4-98/11-2018-300(90)/17

प्रेषक,

मो0 मारूफ,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,

वाणिज्य कर,

उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 27 फरवरी, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुपूरक बजट में प्रविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखते हुए उसकी वित्तीय एवं व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2 के शासनादेश सं0-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक 27.12.2017 के अनुसार अनुदान सं0-89-लेखाशीर्षक- 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-10-जल कर/जल प्रभार की मद में अनुपूरक बजट में प्राविधानित धनराशि रू0-40.00 लाख (रुपया चालीस लाख मात्र) को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि को व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं की जायेगी।
2. जिस मद में व्यय के सम्बन्ध में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक हो तो उस पर यथासमय शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाय।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-27.12.2017 में अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों का तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 के प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय किया जायेगा।

भवदीय,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2018/क0नि0-4-98(1)/11-2018, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।

2-महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहबाद।

3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहन भवन, लखनऊ, उ0प्र0।

4-एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

5-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।